राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2632 / SEIAA/2021
Date: 19/12/21

प्रति,
1. कलेक्टर
जिला –शहडोल म.प्र.

प्रति,
2. कार्यपालन संचालक
म.प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि.
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 01, द्वितीय तल
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषयः मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राम मसीरा, ग्राम पंचायत मसीरा, जिला शहडोल म.प्र. के रेत खदान खसरा नम्बर 39/534 के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र बावत्।

विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राम मसीरा, ग्राम पंचायत मसीरा, जिला शहडोल म.प्र. के खसरा नम्बर 39/534 के द्वारा नियमों का उल्लघन कर खदान संचालित की जा रही हैं प्रकरण के संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है एवं SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 7694 दिनांक 13.05.2021 को निरस्त करने हेतु उल्लेख किया गया है। **(संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र की छायाप्रति)**

उपरोक्तानुसार शिकायत पत्र में वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों व निर्देशों का पालन नहीं किया जाना और ना ही निर्धारित किये गये सामुदायिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन किया जाना उल्लेखित है।

अतः उक्त प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर जांच एवं स्थल निरीक्षण करवाकर वस्तुस्थिति से SEIAA कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 2633 /SEIAA/2021 भोपाल दिनांक 19/12/21
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल म.प्र. की ओर सूचानार्थ।

सदस्य सचिव

7694/2020

प्रति,

सचिव
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA)
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)

विषय :– मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राम मसीरा ग्राम पंचायत मसीरा जिला शहडोल मध्य प्रदेश खदान खसरा नं० 39/34 में नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किए जाने बाबत।

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्र क्रं.457/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021.

महोदय,

निवेदन है कि मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन देवरी राजमार्ग जिला नरसिंहपुर द्वारा शहडोल जिले की ग्राम पंचायत मसीरा की खदान खसरा नं. 39/534 में आपके कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के दिशा निर्देशों को ताक पर रखते हुए रेत उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नांकित बिंदुओं में वर्णित है –

1. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के विशेष स्थितियों के बिंदु क्रमांक A(4) में यह निर्देशित किया गया है, कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर रेत परिवहन के लिए रैम्प निर्माण की अनुमति नहीं है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त निर्देश को धता बताते हुए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर रेत परिवहन के लिए अस्थाई रैम्प का निर्माण किया गया है, तथा एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेत परिवहन किया जा रहा है। इस तथ्य की पुष्टि पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से की जा सकती है।

2. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. A(10) के अनुसार गांव के विद्यालय के खुलने व बंद होने के समय विद्यालय क्षेत्र से होकर रेत परिवहन कार्य प्रतिबंधित है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय के इस दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

3. आपके कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. A(19) में पहुंच मार्ग में नियमित रूप से पानी का छिड़काव हेतु निर्देशित किया गया है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा इस निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

4. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. C(40) में निर्देशित किया गया है, कि परियोजना प्रस्तावक (प्रोजेक्ट प्रपोनेंट) इस बात की सावधानी रखेगा कि उत्खनन कार्य के दौरान वनस्पति व जीवों को कोई खतरा न हो।

विदित हो कि वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा नदी की धारा में भारी पोकलेन मशीन उतारकर उत्खनन कार्य किया जाता है, जिससे उत्खनन क्षेत्र की नदी का जलीय पारिस्थितिक तंत्र गंभीर संकट में है।

5. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(4) के अनुसार नदी तल में भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन आप के कार्यालय के इस निर्देश की धज्जियां उड़ा रहा है, भारी पोकलेन मशीनों को नदी तल में उतारकर उत्खनन कार्य कर रहा है। इस तथ्य की पुष्टि पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ का अवलोकन कर की जा सकती है।

State Level Environment Impact
Assessment Authority, M.P.
(EPCO)
Receipt No. 2511
Date 25/11/21

Examine - A. [illegible] DA(N)

6. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(5) के निर्देशानुसार स्वीकृत उत्खनन क्षेत्र से लोडिंग पॉइंट तक रेत परिवहन ट्रैक्टर ट्राली से किया जाना है ना कि भारी वाहनों से।

वंशिका कंस्ट्रक्शन उक्त निर्देश को धता बताते हुए उत्खनन क्षेत्र से लोडिंग पॉइंट तक रेत का परिवहन भारी हाईवा वाहनों से करा रहा है। साथ ही साथ भारी वाहनों को सीधे उत्खनन क्षेत्र से लोड कर क्रेता तक रेत का परिवहन किया जा रहा है, लोडिंग पॉइंट दिखावे मात्र के लिए बनाया गया है।

7. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(10) के अनुसार यह अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्खनन से पानी की पंकिलता, वेग व जल प्रवाह का पैटर्न प्रभावित ना हो।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा पोकलेन मशीन को नदी तल में उतारकर उत्खनन कार्य कराए जाने से प्रवाहित जल की पंकिलता, वेग व जल प्रवाह का पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं।

8. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(11) के अनुसार यह अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जंतु नदी तल या उत्खनन क्षेत्र करीबी क्षेत्रों में अपने अंडे देने के लिए निर्भर ना हो।

विदित हो उत्खनन क्षेत्र की नदी में उत्खनन गतिविधियों के कारण सैकड़ों की तादाद में मछलियां, केकड़े व अन्य जलीय जंतु मर रहे हैं तथा नदी के जल में उतारते हुए देखे जा सकते हैं।

9. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(13) के निर्देशानुसार वाहनों की पार्किंग पब्लिक प्लेस पर नहीं बनाई जानी चाहिए।

वंशिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस निर्देश का भी पालन नहीं किया गया है।

10. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(16) के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक उत्खनन क्षेत्र के चारों और आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय व अपशिष्ट निपटान के उपाय करेगा।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।

11. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(18) के अनुसार रेत परिवहन के दौरान वाहन में भरी रेत को तिरपाल से ढंका जाना चाहिए।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय के इस निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

12. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(19) के अनुसार खदान कर्मियों के लिए आश्रय (स्थल) व पीने के पानी की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा श्रमिकों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था नहीं की गई है।

13. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(20) के निर्देशानुसार धूल भरे क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यथोचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा धूल भरे क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ संबंधी सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

14. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(27) के निर्देशानुसार धूल को दबाने के लिए सोलरपंप चलित ओव्हरहेड स्प्रिंकलर की लीज क्षेत्र के निकास द्वार पर तथा स्थाई स्प्रिंकलर उत्खनन मार्ग पर लगाए जाने हैं। परियोजना प्रस्तापक को एक लॉग बुक बनाना आवश्यक है, जिसमें प्रतिदिन के पानी छिड़काव व वाहनों की गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय के इस निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

15. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(33) के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक वर्ष में कम से कम एक बार किसी प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष की उपस्थिति में पर्यावरणीय संपरीक्षा कराएगा तथा उसे जन क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा।

    वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा वार्षिक पर्यावरणीय संपरीक्षा नहीं कराई गई है।

16. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. E(26) के अनुसार उत्खनन क्षेत्र के तटों उत्खनन क्षेत्र पहुंच मार्ग व एवं गांव तथा उत्खनन क्षेत्र के बीच के भाग में सघन पौधारोपण कराया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक को पांच वर्ष तक पौधों की देखभाल करनी है। साथ ही एक लाग बुक संधारित करनी है, जिसमें पौधारोपण व पौधों के पुनर्स्थापन का वार्षिक विवरण दर्ज करना है और यथोचित सावधानियां रखनी है ताकि खनन गतिविधियों के दौरान वनस्पतियों और जंतुओं को कोई खतरा उत्पन्न ना हो।

    वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय के उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।

17. आपके कार्यालय की उपर्युक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रं. A(20) में यह निर्देशित किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक ग्राम मसीरा के शासकीय विद्यालयों को लौह निर्मित बेंच टेबिल उपलब्ध कराएगा व विद्यालय में पुताई का कार्य कराएगा। ग्राम पंचायत और आंगनबाडी में बोरवेल लगवाएगा। शासकीय विद्यालय के भवन का उन्नयन कराएगा। ग्राम पंचायत से विचार विमर्श कर चारागाह का विकास कराएगा।

    वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय के उस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि वंशिका कंस्ट्रक्शन द्वारा आपके कार्यालय द्वारा जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। और ना ही आपके द्वारा निर्धारित किए गए सामुदायिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन का एकमात्र उद्देश्य पर्यावरणीय हितों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाना है।

अतः ग्राम पंचायत मसीरा के पारिस्थितिक तंत्र तथा क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वंशिका कंस्ट्रक्शन को ग्राम मसीरा के खदान खसरा नंबर 39 / 534 में उत्खनन हेतु जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किए जाने का कष्ट करें।

स्थान : उमरिया
दिनांक : 22/11/2021.

कुसुमात्मज गढ़वाल
ब्यूरो चीफ साप्ताहिक पब्लिक इमेज
न्यू ज्वालामुखी कॉलोनी उमरिया
जिला उमरिया (म0प्र0)

संलग्न :– 1. ग्राम पंचायत मसीरा के खसरा नंबर 39 / 534 के उत्खनन क्षेत्र के छायाचित्र।
2. आपके कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

Network: 27 Oct 2021 15:59:58 GMT+05:30
Local: 27 Oct 2021 15:59:58 GMT+05:30
23°45'59.119"N 81°12'24.528"E
152° SE
Madhya Pradesh State Highway 10
Govarde
Shahdol
Madhya Pradesh
Altitude:333.5m
Speed:0.1km/h
Index number: 7
Google

Network: 27 Oct 2021 16:02:07 GMT+05:30
Local: 27 Oct 2021 16:02:07 GMT+05:30
23°45'57.774"N 81°12'21.711"E
195° S
Altitude:333.3m
Speed:0.0km/h
Index number: 17
Google

Network: 27 Oct 2021 16:00:22 GMT+05:30
Local: 27 Oct 2021 16:00:22 GMT+05:30
23°45'59.292"N 81°12'24.624"E
321° NW
Madhya Pradesh State Highway 10
Govarde
Shahdol
Madhya Pradesh
Altitude:335.3m
Speed:0.0km/h
Index number: 14

Network: 27 Oct 2021 16:04:00 GMT+05:30
Local: 27 Oct 2021 16:04:01 GMT+05:30
23°45'57.88"N 81°12'21.168"E
347° N
Madhya Pradesh State Highway 10
Govarde
Shahdol
Madhya Pradesh
Index number: 24

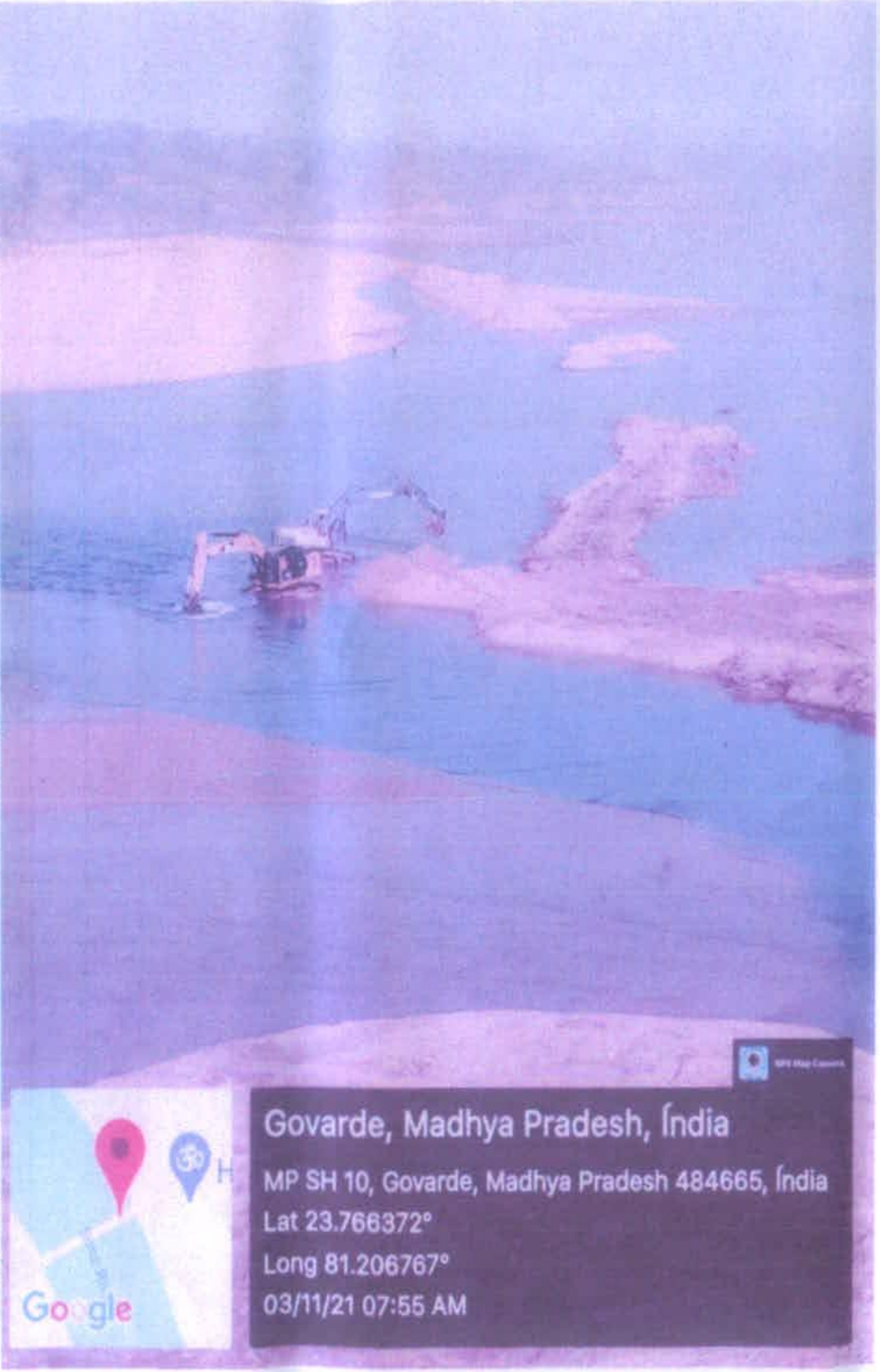
Govarde, Madhya Pradesh, India
MP SH 10, Govarde, Madhya Pradesh 484665, India
Lat 23.766372°
Long 81.206767°
03/11/21 07:55 AM
Google

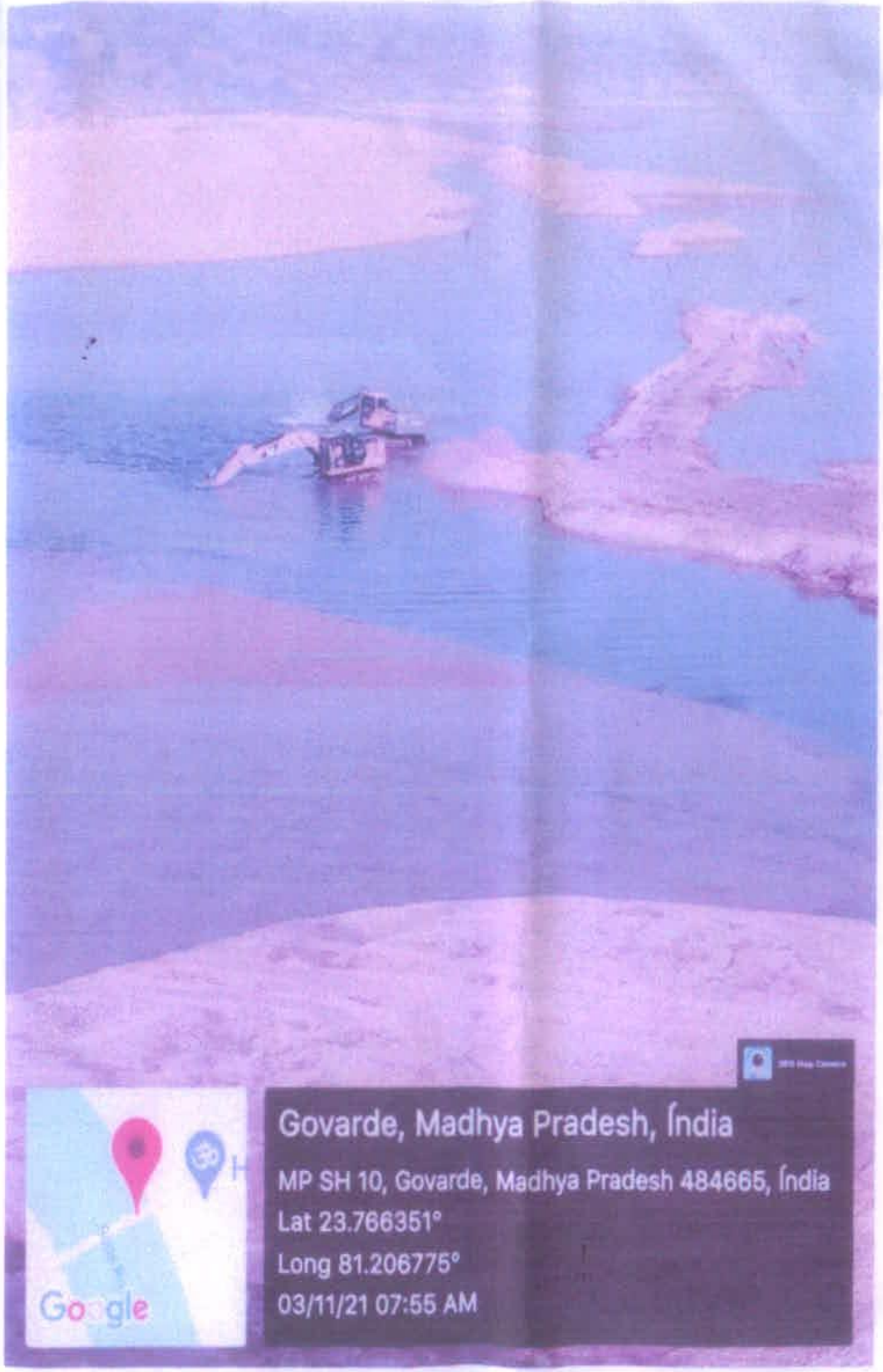
Govarde, Madhya Pradesh, India
MP SH 10, Govarde, Madhya Pradesh 484665, India
Lat 23.766351°
Long 81.206775°
03/11/21 07:55 AM
Google